संख्या– 489 / उन्तीस(2) / 19–2(208पे0) / 2018

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक: 01 मार्च,2019

विषय :– **नाबार्ड की RIDF-XXIV (फेस–04) के अंतर्गत वित्त पोषित 03 नयी पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओ के अंतर्गत पूर्ति हेतु 03 नयी पेयजल योजनाओ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पेयजल योजनाओ को नाबार्ड RIDF-XXIV (फेस–04) के अंतर्गत वित्त पोषित किये जाने हेतु रू0 827.26 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष, 2018–19 में संलग्न तालिका के कालम संख्या–09 के अनुसार रू0 6.00 लाख (रू0 छः लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) प्रश्नगत कार्यो की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि योजनाओ पर व्यय नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा तथा योजनाओ पर होने वाला वास्तविक व्यय आगामी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक है।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii) मुख्य सचिव , उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2047/xiv.219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(viii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय– 01– जलापूर्ति–102– ग्रामीण जलपूर्ति–03– ग्रामीण पेयजल सैक्टर– 35 –पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– H 1903130130 दिनांक 01 मार्च,2019 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीयसंख्या–870(A)/ XXVII(2)/2018 दिनांक 01 मार्च,2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

पृ0 संख्या– 489/उन्तीस(2)/19–2(208 पे0)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–/2, उत्तराखण्ड शासन।
9. मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निमेल कुमार)
अनु सचिव